stand that the award of NIT could not be an authority for continued parity between the employees of RRBs and those of sponsor banks. The Supreme Court has not granted the relief prayed for and instead observed that the employees may seek relief available to them under the Industrial Disputes Act.

In order to have a package that will reconcile the interests of the employees, the clients and the banks, the Reserve Bank of India (RBI) has now appointed a Committee to make recommendations to Government on the exercise of its powers under Section 17(1) of the Act.

Loans Advanced by Banks to SSIs in Gujarat

440. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any amount of loans were advanced to small scale industries by the public sector banks in Gujarat during the last three years and in the current year so far;

(b) if so, the details of the loans provided during the above period, year-wise;

(c) whether SSIs in the State are in a better position to repay bank loans as compared to other States; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The data reporting system of RBI does not generate information in the manner asked for. However, as per the information available with Reserve Bank of India (RBI), the number of accounts with public sector banks and the balance outstanding against small scale industrial units as on the last Friday of March 1993, March 1994 and March 1995 (latest available) in the State of Gujarat were as under:

(Rs. in crores)

As on the last Friday of	Number of Accounts	Balance Outstanding
March 1993	115630	1400.45
March 1994	106571	1542.21
March 1995	107831	1938.26

(c) and (d) The data reporting system of RBI does not generate such information.

राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों का विकास

441. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान वीरों की भूमि कहलाता है और वहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आकर्षक कई ऐतिहासिक स्थल हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास हेतु "मेवाड़ परिसर" नामक कोई परियोजना तैयार करके उसे सरकार के पास वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो कब और सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग ने राजस्थान सरकार से पर्यटन और मेवाड़ क्षेत्र के लिए संरचनात्मक विकास योजना पर एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की थी। पर्यटन विभाग ने इस परियोजना की, बाह्य वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां

442. **श्री इकबाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

		1997 तक के लक्ष्य	उपब्धियां (आंकड़ों के स्रोत तदा वर्ष)
1.	अशोधित जन्म दर	26.0	28.3 (एसआरएस, 1995)
2.	शिशु मृत्यु दर	70	74 (एसआरएस, 1995)
3.	दम्पति सुरक्षा दर	55%	46.5% (कार्यक्रम डाटा, 1995)

(ग) इस संबंध में किए गए उपाय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से विकेन्द्रीकृत सहभागीदारी आयोजन की एक प्रणाली, जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा रोगी की संतुष्टि पर मुख्य बल दिया जाता है, बनाई जाएगी।

(ii) समुदाय पुरस्कार योजना के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में एक गांव (500 से अधिक की आबादी वाला) को जन्म दर तथा शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम रखने के लिए 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

(iii) बच्चे के जीवित रहने तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित टीकाकरण के अलावा लोगों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से पल्स पोलियो तथा स्कूल स्वास्थ्य जांच करना।

निवेशकों द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

443. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशकों द्वारा कतिपय प्रमुख कम्पनियों विशेषकर कतिपय बड़े औद्योगिक समूहों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें बड़ी तादाद में प्राप्त हुई हैं या हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(ग) निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कारगर उपाए करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय-III के भाग क को दिनांक 27.9.91 से हटाए जाने के परिणामस्वरूप, बड़े औद्योगिक घरानों को अब केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है। अतः बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतों से सम्बन्धित आंकड़ों को अलग से एकत्र नहीं किया जाता है।

कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में सभी प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध अनेक प्रकार के निवेशकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं। अभी विगत में, कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या से सामान्यतः गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है।

कम्पनी कार्य विभाग में इन शिकायतों पर कार्यवाही पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत निवेशक संरक्षण सेल के जरिए की जाती है और निवारण के लिए इन्हें संबंधित कम्पनियों को भेजा जाता है। कम्पनियों द्वारा की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है। दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समय-समय पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपने निवेशक शिकायत एवं मार्गदर्शन प्रभाग के जरिए शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करता है। शिकायतों के समाधान के लिए कम्पनियों की तरफ से